



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2003/पौष 20, 1924

No. 30]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2003/PAUSA 20, 1924

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2003

का. आ. 32(अ).— पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, बोर्ड की संलाह पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से यह आवश्यक है, निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एतद्वारा एक समिति गठित करती है। नामशः-

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | विशेष सचिव,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
सी जी ओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली | अध्यक्ष / सदस्य |
| 2. | नामित व्यक्ति,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली | सदस्य |
| 3. | नामित व्यक्ति
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
सी जी ओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली | सदस्य |
| 4. | सहायक महानिदेशक (पशु विज्ञान) आई सी ए आर
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
नई दिल्ली | सदस्य |

- | | | |
|-----|---|-------|
| 5. | निदेशक
भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान,
बरेली, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 6. | उप-कुलपति,
तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
(टी ए एन यू वी ए एस) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति
चेन्नई | सदस्य |
| 7. | उप-कुलपति
महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति
नागपुर | सदस्य |
| 8. | भारत के औषध महा-नियंत्रक
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली | सदस्य |
| 9. | महा निदेशक
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
अन्सारी नगर, नई दिल्ली | सदस्य |
| 10. | निदेशक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारी नगर, नई दिल्ली | सदस्य |
| 11. | निदेशक
भारतीय विज्ञान संस्थान
बंगलौर | सदस्य |
| 12. | वनस्पति रक्षण सलाहकार,
कृषि मंत्रालय,
नई दिल्ली | सदस्य |
| 13. | संयुक्त सचिव (पशु कल्याण)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
नई दिल्ली | सदस्य |

14.	श्री बालाकृष्णामूर्ति निदेशक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी व विष विज्ञान संस्थान, (आई आई बी ए टी) चेन्नई	सदस्य
15.	श्री के एम चाको उप निदेशक, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
16.	सुश्री नोरमा एल्वारेज, पीपल फॉर एनीमल्स, गोवा	सदस्य
17.	सुश्री सनोबर भरूवा, कम्पैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन (सी यू पी ए) बंगलौर	सदस्य
18.	निदेशक (पशु कल्याण) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

2. केन्द्र सरकार, एतद्वारा विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं सदस्य को उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा(2) के अनुसार समिति के अध्यक्ष पद के लिए नामित करती है।

3. समिति का कार्यकाल, इससे पहले भंग न होने पर, इसके गठन की तारीख से 4 वर्ष तक का होगा।

4. दिनांक 17.2.2000 की गजट अधिसूचना सं० एस ओ 140(ई) द्वारा इससे पहले गठित की गई समिति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भंग होगी।

[अ. सं. 25/1/2003-एडब्ल्यूडी]

वीणा ठपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : पशुओं पर किए जाने वाले प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से समिति के गठन के संबंध में इससे पहले निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई थी :-

- (1) सं० जी एस आर 238 दिनांक 8.2.1991
- (2) सं० 7-7/94 ए डब्ल्यू दिनांक 23.2.1996

- (3) सं० एस ओ 140 (ई) दिनांक 17.2.2000
- (4) सं० एस ओ 547 (ई) दिनांक 25.5.2000
- (5) सं० एस ओ 894 (ई) दिनांक 7.9.2001

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th January, 2003

S.O. 32(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government, on the advice of Board and on being satisfied that it is necessary for the purpose of controlling and supervising experiments on animals, hereby constitutes a Committee consisting of following persons as its members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1. Special Secretary, - Chairperson/Member
Ministry of Environment & Forests,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
2. Nominee, - Member
Ministry of Health & Family Welfare,
Nirman Bhavan, New Delhi.
3. Nominee, - Member
Department of Biotechnology,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi.
4. Assistant Director General (Animal Sciences), ICAR - Member
Department of Agriculture Research & Education,
New Delhi.
5. Director - Member
Indian Veterinary Research Institute,
Bareilly, Uttar Pradesh.
6. Vice-Chancellor, - Member
Tamil Nadu University of Veterinary
and Agricultural Sciences (TANUVAS)
or his nominee,
Chennai.

7. Vice-Chancellor,
Maharashtra Animal & Fishery Sciences University,
or his nominee
Nagpur. - Member
8. Drug Controller General of India,
Ministry of Health & Family Welfare,
Nirman Bhavan, New Delhi. - Member
9. Director General,
Indian Council of Medical Research,
Ansari Nagar, New Delhi. - Member
10. Director,
All India Institute of Medical Sciences,
Ansari Nagar, New Delhi. - Member
11. Director,
Indian Institute of Science,
Bangalore - Member
12. Plant Protection Advisor,
Ministry of Agriculture,
New Delhi. - Member
13. Joint Secretary (Animal Welfare)
Ministry of Environment & Forests,
New Delhi. - Member
14. Mr. Balakrishnamurthy
Director,
Indian Institute of Biotechnology and Toxicology
(IIBAT), Chennai - Member
15. Mr. K.M. Chako,
Dy. Director,
Sriram Institute for Industrial Research,
New Delhi - Member
16. Ms. Norma Alvarez,
People for Animals,
GOA. - Member
17. Ms. Sanobar Bharaucha,
Compassion Unlimited Plus Action(CUPA),
Bangalore. - Member

9765/003-2

18. Director (Animal Welfare) - Member-Secretary
Ministry of Environment & Forests,
New Delhi.

2. The Central Government hereby nominates Special Secretary, Ministry of Environment & Forests & Member to be the Chairperson of the Committee as per sub-section (2) of section 15 of the said Act.

3. The term of the Committee shall, unless sooner dissolved, be four years from the date of its constitution.

4. The Committee constituted earlier vide Gazette Notification No.S.O. 140 (E) dated 17.2.2000 stands dissolved from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 25/1/2003-AWD]

VEENA UPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The following notifications were issued earlier on the composition of the Committee for the purpose of Control and Supervision of experiments on Animals:-

- (1) No.GSR 238 dated 8.2.1991
- (2) No.7-7/94 AW dated 23.2.1996
- (3) No.S.O.140 (E) dated 17.2.2000
- (4) No.S.O.547 (E) dated 25.5.2000
- (5) No.S.O.894 (E) dated 7.9.2001